

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि <u>13-1-25</u> को पेश हो।	
13.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि <u>20.1.25</u> को पेश हो।	
20.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील पक्षकारान द्वारा सीमाज्ञान के सम्बन्ध कोई दस्तवेज पेश नहीं किये। वहीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीमाज्ञान के बिना पत्थरगढ़ी किया जाना सम्भव नहीं है। अतः भूमि पर सहस्वातेदारान का पूर्ण स्वामि पर कब्जा काश्त नहीं है। अर्चना पत्र वारन्ते पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत पर बहल सुनी गयी। सीमाज्ञान के अभाव में पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत यह अर्चना पत्र जैरकार रखना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः अर्चना का अर्चना पत्र वारन्ते पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।	